



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

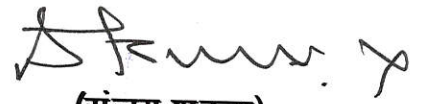
टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, सीपत रोड़, बिलासपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत भास्करपारा खुली खदान रकबा 313.775 हे. एवं भूमिगत खदान रकबा 201.806 हे. कोयला उत्खनन परियोजना हेतु कुल रकबा 515.581 हे. (संरक्षित वन भूमि 113.246 हे + नारंगी वन भूमि 35.549 हे.+ राजस्व वन भूमि 366.786 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के अभिमत से सहमत होते हुए रकबा 515.581 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 05/01/2023

स्थान: नवा रायपुर


(संजय शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन संरक्षण अधिकारी
छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर- 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-306/ 5 |
प्रति,

रायपुर, दिनांक 05/01/2023

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Coal Block has been allotted to M/s Prakash Industries Pvt. Ltd. for Bhaskarpara Coal block Surajpur District, Chhattisgarh area - 515.581 ha. - regarding.

पंजीयन क्रमांक:- FP/CG/MIN/149564/2021

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ न क्र./151/ 2023/ 04 दिनांक 03.01.2023

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, सीपत रोड़, बिलासपुर भास्करपारा कोल ब्लॉक के 515.581 हे. (संरक्षित वन भूमि 113.246 हे.+ नारंगी वन भूमि 35.549 हे.+ राजस्व वन भूमि 366.786 हे.) वनभूमि के प्रत्यावर्तन खुली एवं भूमिगत कोयला उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1 से 15) - आवेदनकर्ता मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, सीपत रोड़, बिलासपुर द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल के भास्करपारा खुली एवं भूमिगत कोयला उत्खनन परियोजना हेतु रकबा 515.581 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म A भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

संरक्षित वन भूमि	नारंगी वन भूमि	राजस्व वन भूमि	योग रकबा
113.246	35.549	366.786	515.581

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 19) - वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/MIN/149564/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 07.03.2022 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क 1,75,000/- जमा कराये गये हैं।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 20-34) - व्यपवर्तन हेतु आवेदित 515.581 हे. वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 4. गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 35 से 119) – प्रस्तावित परियोजना में 416.419 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है, गैर वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 120 से 121) – 515.581 हे. आ रही है जिसे सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर दिखाया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 122 से 123) – वन क्षेत्र का इण्डेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र –4 में (प्रस्ताव पृष्ठ 124 से 134) – प्रपत्र- 4 में परियोजना की कुल लागत रु. 28,483 लाख करोड़ है। वनमंडलाधिकारी सूरजपुर ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है और आवेदित वन भूमि न्यूनतम है। फ्लौरा एवं फौना की सूची दी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 135 से 156) – प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 157) – आवेदित वन क्षेत्र के एवज में समतुल्य निजी भूमि एवं राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 158) – प्रस्तावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, इस आशय का आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 159 से 173) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक IA J – 11015 / 90 / 2021 –IA-II (M) दिनांक 31.01.2022 से भास्करपारा कोल ब्लाक के लिए टी.ओ. आर. जारी किया गया है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 174 से 247) – आवेदित वन भूमि रकबा 515.581 हे. वन क्षेत्र में 12,724 नग विभिन्न प्रजातियों के खड़े वृक्षों की गणना ग्रीड सेम्पल प्लाट के आधार पर किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की 100 प्रतिशत गणना द्वितीय चरण की स्वीकृति पश्चात विदोहन योजना तैयार करने के पूर्व किया जावेगा।

बि.क्र. 13. कास्ट / बेलिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 248 से 254) – कास्ट बेनिफिट ऐनालिसिस संलग्न है। कास्ट बेनिफिट रेशियो 1:7 है। विस्तृत गणना पत्रक प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 255 से 326) – सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 113.246 हे. नारंगी वन क्षेत्र (ग्राम-बड़सरा) – 35.549 हे. एवं राजस्व वन भूमि 366.786 हे. कुल प्रभावित वन भूमि 515.581 हे. में से भूमिगत खदान 201.806 हे. को छोड़कर खुली खदान रकबा 313.775 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य निजी भूमि खैरागढ़ वन मंडल में 56.248 हे., बलरामपुर

वन मंडल में निजी भूमि 97.910 हे. तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल में शासकीय राजस्व भूमि 161.904 हे.; कुल 316.062 हे. का 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन मय उपचार मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 327) – प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 113.246 हे. नारंगी वन क्षेत्र (ग्राम-बड़सरा) – 35.549 हे. एवं राजस्व वन भूमि 366.786 हे. कुल प्रभावित वन भूमि 515.581 हे. है। गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का 1:4000 स्केल का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 328 से 504) – सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 113.246 हे. नारंगी वन क्षेत्र (ग्राम-बड़सरा) – 35.549 हे. एवं राजस्व वन भूमि 366.786 हे. कुल प्रभावित वन भूमि 515.581 हे. में से भूमिगत खदान रकबा 201.806 हे. को छोड़कर खुली खदान हेतु रकबा 313.775 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य निजी भूमि खैरागढ़ वन मंडल में 56.248 हे., बलरामपुर वन मंडल में निजी भूमि 97.910 हे. तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल में शासकीय राजस्व भूमि 161.904 हे. का 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन मय उपचार मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 505 से 510) – एकजाई वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल द्वारा जारी किये गये हैं। इसके अलावा प्रत्येक परियोजना में पृथक-पृथक वन मंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सम्मिलित किया गया है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 511) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 512) – अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं किया गया है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 513) – अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं किया गया है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 21. वैकल्पित वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 514) – प्रस्तावित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शासकीय राजस्व भूमि तथा निजी भूमि क्रय कर वन विभाग को प्रदाय की जायेगी। जिसकी प्रक्रिया प्रचलन में है एवं यथाशीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 515) – प्रस्तावित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना अंतर्गत इस वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रकरण में कैचमेंट-ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 516 से 521) – सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल ब्लॉक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित रिक्लेमेशन प्लान प्रस्ताव में तैयार कर संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IVM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 522 से 664)–भास्करपारा कोयला खनन योजना (MINING PLAN) का अनुमोदन भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक MINECT/APP00208/ 2022 दिनांक 19.11.2022 द्वारा प्रदान किया गया है एवं माईनिंग प्लान की अनुमोदित प्रति परिशिष्ट क्रमांक 24/1 में संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 665 से 683) – प्रस्तावित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना हेतु (पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन कार्य योजना) तैयार की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट क्रमांक 25/1 प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र I से IV तक)(प्रस्ताव पृष्ठ 684 से 691) – वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2022 तथा इसके आधार पर भरा गया भाग-2 संलग्न है। वनो का घनत्व 0.4 से 0.5 बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त द्वारा वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के ऊपर स्वयं के स्थल निरीक्षण दिनांक 02.01.2023 से प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 692 से 694) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 27/1 में संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 695 से 700) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम पंचायत, कुसमुसी, कुरीडीह, खांडापारा एवं दनौलीखुर्द, केवरा, बड़सरा एवं बस्करपारा ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 701) – प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 165572.246 हे. का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 30. –1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 702 से 705) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत 27 प्रकरणों में कुल 2679.044 हे. वन भूमि प्रभावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 31. -1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 706) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि 1911.109 हे. दर्शित है।

बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी प्रस्ताव पृष्ठ 707 से 711) – प्रस्तावित कोल ब्लाक व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/प्रबंध-550/2533 दिनांक 04.07.2022 द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी प्रदान की गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट क्रमांक 32/1 में संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में प्रस्ताव पृष्ठ 712 से 714) – 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र परिशिष्ट 33/1 में संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 715 से 717) – मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल ब्लाक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 515.581 हे. में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.06.2022 के द्वारा गाईड लाईन की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 718 से 731) – प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि रकबा 366.786 हे. के लिए कलेक्टर सूरजपुर के पत्र क्रमांक/ 68/भू-अर्जन/ 2012 दिनांक 24.02.2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 732) – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2 nd stage Clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 733)– आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on soil productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 734–738) – प्रश्नाधीन भूमि की कुल रकबा 515.581 हे. वन भूमि, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि हेतु प्रस्तावित किया गया है कि "The soil quality assessment of the mining lease area has been carried out. Nine locations were identified for soil characteristics" विस्तृत विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 739) – मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लिमिटेड द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत भास्करपारा कोल ब्लॉक में कोयला खनन कार्य हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 515.581 हे. में किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। व्यपवर्तन के पश्चात ही प्रस्तावित भूमि पर खनन कार्य किया जायेगा। आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Division of large area (more then 500 ha) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation) Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 740) – संस्थान द्वारा भास्करपारा कोयला खनन परियोजना के लिए प्रस्तुत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वन क्षेत्र का कुल रकबा 515.581 हे. है अतः संस्थान द्वारा या तो व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित किया जायेगा अन्यथा आसपास के क्षेत्र में पूर्व से स्थापित व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में संस्थान के खर्च पर प्रभावित क्षेत्र के युवाओं की आवश्यकतानुसार ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी। तदाराय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 41. पंजयीन कमांक (741 से 742) – चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक – 2 अनुसार दर्शित है।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ –743 से 747) – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश क्रमांक/ व.प्रा./ प्रबंध-550/ 106 दिनांक 23.05.2022 से 345.95 लाख का अनुमोदित वन्यप्राणी योजना तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ –748)– प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 749 से 998) –

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों / दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा विषयांकित प्रकरण की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रकरण स्वीकृति हेतु 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्तावित क्षेत्र का रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय सी.डी.
3. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 3 सेट में मय सी.डी.

4. टाईम लाईन

5. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी योजना-3 प्रतियों में

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-306/52

रायपुर, दिनांक 05/01/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लि. सीपत रोड़, बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनगुणि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/MIN/149564/2021

14.	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रश्नों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	" हां " स्थल निरीक्षण दिनांक - 2/1/2023 स्थल निरीक्षण रीप संलग्न है
15.	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	" हां "
16.	प्रस्ताव कि स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	यह कोयला खनन क्षेत्र विनिष्कृत क्षेत्र (Site Specific) है। इसका विस्तृत संभावना है। अतः निरीक्षण की जाँच हेतु अनुमति की जाती है।

दिनांक : 2/1/2023

स्थान : जमिनापुर

मुख्य वन संरक्षक [Naveed Shujauddin]
सरगुजा नगर अम्बिकापुर " I. F. S. "
समर्थ (सगढ़)

सरकारी मोहर